

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक : 01.11. 2020

आदेश

विषय: गाईडलाईन्स (1 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020) के क्रियान्वयन आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा री-ओपनिंग हेतु जारी की गई गाईडलाईन्स की समयावधि बढ़ाई गई है।

तदनुसार, राज्य में कोविड-19 के फैलाव की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020 तक की अवधि के लिये निम्नानुसार गाईडलाईन जारी की जाती है:-

A. लॉकडाउन कन्टेन्मेन्ट जोन्स / कर्फ्यू क्षेत्र तक सीमित

**(Lockdown Limited to Containment Zones/Curfew areas)**

- (i) कन्टेन्मेन्ट जोन्स में दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
- (ii) संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गृह मंत्रालय / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए एवं संक्रमण के प्रसार की कड़ी को प्रभावी रूप से तोड़ने के उद्देश्य से कन्टेन्मेन्ट जोन का माईक्रो लेवल पर उपयुक्त चिन्हिकरण कर नोटिफाई किया जायेगा। कन्टेन्मेन्ट जोन में कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जायेगी एवं केवल आवश्यक गतिविधियां अनुमत होंगी। कन्टेन्मेन्ट जोन में यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, सख्त परिधी नियंत्रण लागू होगा। कन्टेन्मेन्ट जोन्स में

*Signature*

आवश्यकतानुसार सघन सम्पर्क ट्रेसिंग, घर-घर निगरानी तथा आवश्यकतानुसार अन्य आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां अमल में लायी जायेंगी।


- (iii) संबंधित जिला प्राधिकारी द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत निषेध आज्ञा जारी की जायेगी।
- (iv) संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन कन्टेन्मेन्ट जोन्स को वैब साईट पर नोटिफाई किया जायेगा और सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा की जायेगी।
- (v) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (जिला/उपखण्ड/शहर/ग्राम स्तर पर) भारत सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के लागू नहीं किया जायेगा।

कन्टेन्मेन्ट जोन्स में किसी भी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी।

**B.** इस अवधि के दौरान कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में, निम्न के अलावा सभी गतिविधियां अनुमत होंगी :-

- (i) राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों के लिये एवं नियमित कक्षा गतिविधियों के लिये सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि दिनांक 16 नवम्बर, 2020 तक बंद रहेंगे।  
निम्नांकित गतिविधियों की अनुमति जारी रहेगी:-

- ए. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
- बी. विद्यालयों में ऑनलाईन अध्यापन/टेलीकाउन्सलिंग एवं संबंधित कार्यों के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा।
- सी. केवल कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी "मानक संचालन प्रक्रिया" (एसओपी) की अनुपालना आवश्यक होगी।





इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में चरणबद्ध तरीके से निर्णय लेगी। यह निर्णय सम्बन्धित विद्यालय/संस्था प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श एवं उनके द्वारा उनके द्वारा स्थिति के स्वयं के आंकलन के आधार पर एवं निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन होगा:-

- ए. ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन के माध्यम को वरीयता दी जावेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जावेगा।
  - बी. जहां विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही है, और जहां कुछ विद्यार्थी भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होने की बजाय ऑनलाइन क्लासेज की उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं तो उन्हें इसके लिये अनुमति प्रदान की जावे।
  - सी. विद्यार्थी केवल माता-पिता की लिखित सहमति के आधार पर विद्यालय/संस्था को अटेंड (attend) कर सकेंगे।
  - डी. छात्रों की उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जावेगा और पूर्णतः माता-पिता की सहमति पर आधारित होगी।
  - ई. राज्य सरकार विद्यालय/संस्थाओं के री-ओपनिंग हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के लिये स्वयं की मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी।
  - एफ. जिन विद्यालयों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी उनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्यता: अनुपालना करनी होगी।
- (ii) उच्च शिक्षा संस्थानों को, केवल शोधार्थी (Ph.D) एवं विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्य से संबंधित कार्य करना होता है, के लिये 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति दी गई है जो निम्नानुसार है:-
- ए. केन्द्रीय वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रधानों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं का यह समाधान करेंगे कि शोधार्थी (Ph.D) एवं विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों के स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्य की वास्तविक आवश्यकता है।
  - बी. अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे कि राज्य के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय इत्यादि को केवल शोधार्थी (Ph.D) एवं विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्य

*Amgaur*

से संबंधित कार्य करना होता है, राज्य सरकार के निर्णयानुसार खोला जा सकेगा।

- (iii) स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल/थियेटर्स/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
- (iv) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमत के अलावा यात्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रायें।
- (v) सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक अनुमत नहीं होंगे।

तथापि कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में निम्नलिखित जारी रहेंगे :-

**(i) विवाह संबंधी आयोजन।**

आयोजन कर्ता द्वारा:-

- (1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।
- (2) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा "नो मास्क नो एन्ट्री" की सख्ती से पालना की जायेगी।
- (4) स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे।
- (5) सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस आदि की बार-बार सेनेटाईज़र की जायेगी।
- (6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।

**(ii) अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम :** अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईज़र के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

*Signature*

तथापि, यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक



व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ आवेदन किया जाता है तो जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वयं का समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये निम्न शर्तों के अध्याधीन अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

1. आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या:-
  - ए. Closed Space में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही अनुमत होंगे, जिनकी अधिकतम सीमा 200 होगी।
  - बी. Open Space (खुले स्थानों में) मैदान/स्थान की क्षमता के आधार पर अधिकतम 250 व्यक्ति अनुमत होंगे।  
प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी ("2 गज की दूरी") बनाये रखेगा।
2. आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी ( Social Distancing ) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
3. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "नो-मास्क नो-एंट्री" की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवम् कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे।
5. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी।

*Amjad*

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है।

C. कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर अनुमत गतिविधियां

**Permitted Activities Outside the Containments Zone's :**

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई, 2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 6 जून, 2020 का संशोधन, 30 जून, 2020 एवं 30 जुलाई, 2020, संशोधित आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2020, 30 अगस्त, 2020 एवं दिनांक 20 एवं 23 अगस्त, 2020 तथा 30

सितम्बर, 2020 द्वारा अनुमत एवं जो नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी में नहीं हैं, वे उपरोक्त आदेशों में वर्णित प्रतिबंधों/सावधानियों के साथ जारी रहेंगी।

**D. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश  
(Common Safety Directives for Covid-19 Management)**

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित सामान्य सुरक्षा निर्देश लागू रहेंगे:

**1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places):**

निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के कारण आज्ञापक है एवं इनका उल्लंघन दण्डनीय होगा :

- (1) मुंह को ढकना (Face Covering): सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "नो मास्क नो एन्ट्री" की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।
- (2) सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी ("2 गज की दूरी") बनाये रखेगा।
- (3) सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
- (4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
- (5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनिटाईजर का उपयोग करें।

*Amal*

**2. कार्य स्थलों में (At work places):**

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिए उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं :

- (1) घर से कार्य (WFH) : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।



- (2) कार्य/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखना : कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work/business hours)।
- (3) जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) : सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
- (4) बार-बार सैनिटाईजेशन करना : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार-बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) सामाजिक दूरी : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) आरोग्य सेतु : सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।
- (7) श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा निर्देशों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

3. दुकानों:- दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। "नो मास्क नो सर्विस" जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा।

#### 4. भेद्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सलाह (Safety Advisory for Vulnerable Persons)

भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरुग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह

अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।


**E. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास**

**(Movement of People/ Transport/ Passes):**

- (i) व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- (ii) सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
- (iii) सिटी बसें (लोक परिवहन), मेट्रो रेल जारी की गई एसओपी के अनुसार अनुमत होंगे।
- (iv) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
- (v) यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

**F. क्रियान्वयन मशीनरी**

क्रियान्वयन मशीनरी विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च, 2020 के अनुरूप होगी।

  
(अमय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।